



## केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित  
(पूर्व में राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, मानित विश्वविद्यालय)  
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन  
56-57, इन्स्टीट्यूशनल परिया,  
जनकपुरी, नई दिल्ली-110058

**संस्कृत/पालि/प्राकृत के नियमित अध्ययरत छात्रों को मेधावी छात्रवृत्ति-2022-2023 प्रदान करने हेतु ऑनलाईन माध्यम से आवेदन आमन्त्रित किए जाते हैं।**

**संस्कृत संवर्धन योजना के अन्तर्गत संस्कृत पाठशालाओं/संस्कृत महाविद्यालयों/संस्कृत विश्वविद्यालयों तथा माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों/कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में अध्ययरत छात्र/छात्रों से सत्र-2022-2023 की मेधावी छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु मार्गदर्शिका**

संस्कृत भाषा के प्रचार एवं प्रसार के लिए शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा संचालित केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा संस्कृत शिक्षा के विकास की योजना के अन्तर्गत परम्परागत धारा में मान्यता प्राप्त संस्कृत पाठशाला/संस्कृत महाविद्यालय/संस्कृत विश्वविद्यालय तथा आधुनिक धारा में मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में पूर्वमध्यमा(प्रथमवर्ष)/9वीं, पूर्वमध्यमा(द्वितीयवर्ष)/10वीं, उत्तरमध्यमा/प्राकृशास्त्री(प्रथमवर्ष)/11वीं, उत्तरमध्यमा/प्राकृशास्त्री-(द्वितीयवर्ष)/12वीं, शास्त्री/बी.ए.(प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष), आचार्य/एम.ए.(प्रथम/द्वितीय वर्ष) तथा विद्यावारिधि/पी.एचडी. पाठ्यक्रमों में अथवा तत्सम पाठ्यक्रमों में संस्कृत/पालि/प्राकृत भाषा को मुख्य विषय या ऐच्छिक विषय के रूप में नियमित अध्ययनरत छात्रों के लिए वर्ष-2022-2023 की मेधावी छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन माध्यम से आवेदन पत्र आमन्त्रित किए जाते हैं:-

- छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र केवल ऑनलाईन द्वारा ही स्वीकार्य है। कोई भी आवेदन पत्र या प्रमाण पत्र डाक द्वारा अथवा अन्य माध्यम से विश्वविद्यालय को भेजने की आवश्यकता नहीं है।
- संस्थाओं का ऑनलाईन पंजीकरण तथा छात्रों को छात्रवृत्ति आवेदन पत्र ऑनलाईन द्वारा जमा करने की प्रक्रिया एवं निर्धारित तिथियाँ निम्नवत हैं:-

सोपान	विवरण	निर्धारित तिथियाँ	
स्टैप-1	सभी शैक्षिक संस्थाओं को ऑनलाईन के माध्यम से पंजीकरण अथवा प्रोफाईल अपडेशन करना होगा। जैसा कि अधिसूचना में उल्लिखित है।	पंजीकरण/प्रोफाईल अपडेशन करने की आरम्भ तिथि 10.11.2022	पंजीकरण/प्रोफाईल अपडेशन करने की अन्तिम तिथि 27.01.2023
स्टैप-2	सम्बद्ध संस्था का नाम छात्रों का ऑनलाईन आवेदन पत्र में प्रदर्शित होने के पश्चात् छात्र द्वारा छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन करना होगा।	ऑनलाईन द्वारा आवेदन करने की आरम्भ तिथि 10.11.2022	ऑनलाईन द्वारा आवेदन करने की अन्तिम तिथि 31.01.2023

जो छात्र छात्रवृत्ति (ऑनलाईन) के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे निम्नलिखित विवरण देखें :-

अ) अर्हता -

छात्रवृत्ति के लिए निम्नलिखित अर्हता निर्धारित है:-



मुख्य सूचना:- आधुनिक धारा में छात्रवृत्ति चयन हेतु केवल संस्कृत विषय के अंकों के आधार पर वरीयताक्रम तैयार किया जाएगा तथा पारम्परिक धारा एवं आनंद में सभी संस्कृत विषयों के पूर्णांक के आधार पर वरीयता क्रम निर्धारित होगी।

आ) **छूट** -आरक्षित श्रेणी से सम्बन्धित विद्यार्थियों के लिए अंक प्रतिशतत में छूट देते होते हुए कम-से-कम निम्नलिखित अंकों की प्रतिशतता होना आवश्यक है :

अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी	-	55 प्रतिशत
अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी	-	50 प्रतिशत
दिव्यांग श्रेणी	-	50 प्रतिशत

- अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग छात्रों द्वारा प्राप्तांकों में छूट पाने के लिए निर्धारित प्राधिकारी द्वारा छात्र अपने स्वयं के नाम का जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। माता-पिता अथवा परिवार अन्य किसी सदस्य के नाम जारी जाति प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं होगा।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्रतिशत अंकों के लिए पात्रता मानदंड में कोई छूट नहीं है। हाँलाकि भारत सरकार के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तहत आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया हुआ आय (Income) और सम्पत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर विचार किया जा सकता है।

इ) चयन की रीति -

- (i) केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित छात्रवृत्ति चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर ही विश्वविद्यालय की छात्रवृत्ति देय होगी।
- (ii) छात्रवृत्ति चयन समिति की अनुशंसा को अनुदान समिति के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
- (iii) संस्कृत/पालि/प्राकृत विषय में प्राप्तांक/ग्रेड के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। संस्कृत पालि/प्राकृत आनंद/परम्परागत धारा के छात्रों के कुल प्राप्तांकों/ग्रेड/प्रतिशतता ही मेरिट के लिए विचारणीय होगी।
- (iv) चयनित छात्रों की सूची पिछली कक्षा के संस्कृत/पालि/प्राकृत विषय के प्राप्तांकों की कट-ऑफ प्रतिशतता के आधार तैयार की जाएगी।
- (v) बशर्ते कि पारंपरिक/प्राच्य/सम्मान और एम.ए. छात्रों जिन्होंने संस्कृत/पालि/प्राकृत विषय को विशेष विषय के रूप में चुना है उनके लिए प्रतिशतता की गणना नहीं की जा सकती है ऐसे मामले में आवेदनों की संख्या की उपलब्धता आवश्यकता नहीं है।
- (vi) छात्र के पास संस्कृत/पालि/प्राकृत विषय के कम-से-कम 100 अंक या समकक्ष ग्रेड वर्तमान कक्षा तथा पिछली कक्षा में होना आवश्यक है।
- (vii) विद्यावारिधि/पीएच.डी की छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए या संस्कृत/पालि/प्राकृत में समकक्षता, छात्र को आचार्य या एम.ए. संस्कृत/पालि/प्राकृत पाठ्यक्रम सहित कम-से-कम 60 प्रतिशत अंक और पीएच.डी में पंजीकृत होना आवश्यक है।

(viii) पीएच.डी./विद्यावारिधि की छात्रवृत्ति प्रगति रिपोर्ट संतोषजनक के आधार पर 03 वर्षों यानी 36 महीनों के लिए मान्य होगी। द्वितीय वर्ष की छात्रवृत्ति पर विचार करने के लिए शोध छात्र द्वारा किए गये कार्यों का प्रगति विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित गाईड तथा विभागाध्यक्ष के माध्यम से भेजा जाएगा।

### इ) लाभार्थी-

- अ) धन की उपलब्धता के आधार पर छात्रवृत्तियों की संख्या निर्धारित की जाएगी।
- आ) भारत सरकार की समय-समय पर निर्धारित नीति के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा।
- इ) शैक्षिक संस्था के नियमित छात्र जिन्होंने संस्कृत/पालि/प्राकृत विषय वर्तमान कक्षा तथा पिछली कक्षा में भी लिया हो उनको छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
- ई) वरीयता के रूप में संस्कृत/पालि/प्राकृत के पारंपरिक/प्राच्य छात्रों (जो संस्कृत माध्यम से संस्कृत अध्ययन कर रहे हैं) को 100 (शतप्रतिशत) आवेदकों को छात्रवृत्ति दी जाएगी।
- उ) आधुनिक धारा के एम.ए. संस्कृत या संस्कृत आनर्स छात्रों जो संस्कृत माध्यम से संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं उनको सम्मानित करने के लिए छात्रवृत्ति पर विचार किया जाएगा।

### उ) अग्रसारित प्राधिकारी -

- अ) अस्थायी रूप से चयनित अर्ह छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए सूची ई-मेल/डाक के माध्यम से विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित संस्था के प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष/डीन को सत्यापन हेतु प्रेषित की जाएगी।
- आ) छात्र विवरण, संबंधित संस्था के प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/डीन के द्वारा सत्यापित कर निम्नलिखित प्राधिकारियों से यथानियम प्रतिहस्ताक्षरित कराना होगा :-

संस्था का प्रकार	सत्यापन हेतु अधिकृत अधिकारी
सम्बद्धता प्राप्त विद्यालयों	राजकीय शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी/खंड शिक्षा अधिकारी
राजकीय/केन्द्रीय विद्यालय	सम्बन्धित विद्यालय का प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय	सम्बन्धित महाविद्यालय का प्राचार्य
सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय	विश्वविद्यालय का कुलसचिव जहाँ से महाविद्यालय सम्बद्धता प्राप्त है
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त संस्थाएँ	सम्बन्धित सम्बद्धता प्राप्त संस्था का प्राचार्य

- इ) उपर्युक्त वर्णित प्राधिकारी के अलावा निम्नलिखित प्राधिकारी भी अग्रसारित प्राधिकारी बन सकते हैं -

  - संस्कृत विश्वविद्यालयों के कुलपति
  - महर्षि सन्दीपिनी वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के सचिव
  - केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपति
  - केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के सभी निदेशक
  - राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के संस्कृत बोर्ड या संस्कृत शिक्षा विभाग के निदेशक

- ई) निर्धारित समय के भीतर सम्बन्धित प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/डीन से अस्थायी रूप से चयनित छात्रों की सूची सत्यापित कर सम्बन्धित प्राधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित मूल प्रति (हार्डकॉपी) संस्थान को प्राप्त होने के बाद ही छात्रवृत्ति जारी की जाएगी।

उ) अग्रसारित प्राधिकारी यह सुनिश्चित करे कि छात्रों को संस्कृत/पालि/प्राकृत सरलता से पढ़ने और लिखने में सक्षम हैं।

### ऊ) योजना निगरानी के दिशानिर्देश -

अ) छात्रवृत्ति प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में 1 जुलाई से 30 अप्रैल तक (10 माह के लिए) देय होगी।

आ) पीएच.डी./विद्यावारिधि के लिए छात्रवृत्ति 03 वर्षों यानी 36 महीनों के लिए देय होगी।

इ) प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए छात्रवृत्ति राशि -

पाठ्यक्रम	छात्रवृत्ति राशि
कक्षा 9वीं/पूर्वमध्यमा प्रथमवर्ष/10वीं/पूर्वमध्यमा द्वितीयवर्ष या समकक्ष पाठ्यक्रम	रुपये-500/- प्रतिमाह 10 माह के लिए (रु.5000/- प्रतिवर्ष)
कक्षा 11वीं/उत्तरमध्यमा प्रथमवर्ष/प्राकृशास्त्री प्रथमवर्ष/12वीं/उत्तरमध्यमा द्वितीयवर्ष/प्राकृशास्त्री द्वितीयवर्ष या समकक्ष पाठ्यक्रम	रुपये-600/- प्रतिमाह 10 माह के लिए (रु.6000/- प्रतिवर्ष)
शास्त्री प्रथमवर्ष/द्वितीय/तृतीय/बी.ए.(आनर्स) प्रथमवर्ष/द्वितीयवर्ष/ तृतीयवर्ष या समकक्ष पाठ्यक्रम	रुपये-800/- प्रतिमाह 10 माह के लिए (रु.8000/- प्रतिवर्ष)
संस्कृत/पालि/प्राकृत में आचार्य प्रथमवर्ष/द्वितीय/एम.ए. प्रथमवर्ष/द्वितीय या समकक्ष	रुपये-1000/- प्रतिमाह 10 माह के लिए (रु.10000/- प्रतिवर्ष)
संस्कृत/पालि/प्राकृत में विद्यावारिधि/पीएच.डी या समकक्ष	रुपये-2500/- प्रतिमाह 12 महीनों के लिए + रुपये-5000/- प्रतिवर्ष कार्टीजेन्सी (अर्थात् रुपये-35,000/- प्रतिवर्ष) अधिकतम छात्रवृत्ति तीन वर्ष के लिए

### अ) भुगतान रीति -

छात्रवृत्ति राशि सम्बन्धित चयनित छात्र के खाते में सीधे पी.एफ.एस./ई-स्थानान्तरण/एन.ई.एफ.टी./आर.बी.आई./डी.बी.टी रीति के माध्यम से भेजी जाएगी।

### ओ) योजना की अन्य आवश्यक नियम तथा शर्तें -

- छात्रों द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाएगा कि उन्हें संस्कृत/पालि/प्राकृत का ज्ञान है और वे सरल मानक संस्कृत/पालि/प्राकृत में बोलने तथा लिखने में सक्षम हैं।
- नई शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 के अनुसार 04 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम/डिग्री के क्रियान्वयन के मामले में इस योजना के तरह 04 चार के लिए छात्रवृत्ति पर विचार किया जा सकता है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार पीएच.डी. छात्रों के लिए छात्रवृत्ति धन की उपलब्धता के आधार पर 03 वर्षों के लिए देने पर विचार किया जा सकता है।
- अभ्यर्थी का 60 प्रतिशत अंक (सामान्य), 55 प्रतिशत अंक (अन्य पिछड़ा वर्ग) तथा 50 प्रतिशत अंक (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग) या समकक्ष ग्रेड का होना आवश्यक है। अपूर्ण अंक (Rounding) को नहीं माना जाएगा।
- छात्रों ने वर्तमान कक्षा में विषय अर्थात् संस्कृत/पालि/प्राकृत लेना आवश्यक है जिसके लिए उसने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है। हाँलाकि छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए पिछली कक्षा के अध्ययन में प्राप्त सम्बन्धित अंकों पर निर्भर करेगा।

- छात्रवृत्ति एक शैक्षणिक सत्र में 1 जुलाई से आगामी 30 अप्रैल तक (10 माह) देय होगी। छात्रवृत्ति पिछली कक्षा परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर केवल एक शैक्षणिक वर्ष के लिए देय होगी। अतः छात्रों को हर वर्ष नये रूप से आवेदन करना होगा। इसका स्वतः प्रोत्तरि नवीनीकरण नहीं होगा।
- ऊपर लिखित प्राधिकारियों के अतिरिक्त अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित छात्रों का विवरण मान्य नहीं होगा।
- छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाईन आवेदन के समय कोई भी दस्तावेज अपलोड या डाक द्वारा अथवा अन्य माध्यम से को भेजने की आवश्यकता नहीं है।
- इलैक्ट्रॉनिक भुगतान का तत्काल स्थानान्तरण करने के लिए छात्र/छात्रा का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक (प्राथमिकता भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इण्डियन बैंक, केनरा बैंक सैट्रल बैंक तथा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया) में खाता होना चाहिए। आवेदकर्ता का नाम एवं बैंक खाते का नाम एक होना चाहिए तथा बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक (KYC) होना भी अनिवार्य है अन्यथा स्वीकृत छात्रवृत्ति बैंक खाते में स्थानान्तरण नहीं की जाएगी।
- छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान प्रत्येक वर्ष के प्रथम जुलाई के शैक्षणिक सत्र से देय होगा। स्वीकृत राशि का भुगतान सीधे छात्र के बैंक खाते में किया जाएगा। व्यक्ति द्वारा खाते का संचालन निम्नानुसार होना चाहिए:-
  - 12वीं कक्षा तक संयुक्त खाता।
  - बी.ए., एम.ए., तथा पी.एच.डी के छात्रों के लिए अलग से खाते का संचालन किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में प्राथमिकता भारतीय स्टेट बैंक में होना आवश्यक है।
- छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान प्रत्येक वर्ष के प्रथम जुलाई के शैक्षणिक सत्र से देय होगा। स्वीकृत राशि का भुगतान सीधे छात्र के खाते में सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्ध प्रणाली/ई-स्थानान्तरण/एन.ई.एफ.टी./आर.बी.आई के माध्यम से किया जाएगा और इससे सूचना सम्बन्धित विद्यालय/संस्था/विश्वविद्यालय को ई-मेल/डाक द्वारा भेजी जाएगी।
- यदि किसी छात्र ने इस शैक्षणिक सत्र में अन्य किसी संस्था से छात्रवृत्ति/अर्थिक सहायता प्राप्त की है तो उस छात्र को योजना के अन्तर्गत किसी प्रकार की छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जाएगी। छात्रवृत्ति अवधि के दौरान यदि कोई छात्र पारिश्रमिक कार्य अथवा अन्य पाठ्यक्रम जिसमें संस्कृत का समावेश नहीं है, ऐसे छात्र भी इस छात्रवृत्ति पाने के लिए योग्य नहीं होगे।
- सभी छात्रों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जमा करना होगा जिसमें निम्नलिखित तथ्यों को होना आवश्यक है:-
  - (i) वह संस्कृत/पाली/प्राकृत पाठ्यक्रम का नियमित छात्र है जिस छात्रवृत्ति के लिए उसने आवेदन किया है।
  - (ii) उसने किसी अन्य स्रोत के माध्यम से छात्रवृत्ति या वजीफा (स्टाइपेंड) प्राप्त नहीं की है।
  - (iii) वह कहीं पर कार्यरत नहीं है।
  - (iv) यदि छात्र ने किसी अन्य स्रोत के माध्यम से छात्रवृत्ति प्राप्त की है अथवा वह कार्यरत है तो उसे तत्काल विश्वविद्यालय को उचित माध्यम से अवगत करना होगा।
- जिस छात्र ने बी.एड. करने के पश्चात् एम.ए. में प्रवेश लिया है उनको छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु बी.ए. कक्षा में प्राप्तांक को आधार माना जाएगा। बशर्ते पढ़ाई में कोई अन्तराल नहीं हो।
- छात्रवृत्ति की प्राप्ति हेतु एक वर्ष अथवा दो सत्रार्द्ध में संस्कृत/पाली/प्राकृत विषय सहित पाठ्यक्रम का अध्ययन करना आवश्यक है।
- छात्र द्वारा अतिरिक्त ( Additional ) विषय के रूप में संस्कृत/पाली/प्राकृत अध्ययन करने पर भी छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु विचार किया जाएगा।
- जहाँ कहीं अंक पत्र में आधुनिक भारतीय भाषा 1/2/3 के रूप में अंक दर्शाये होंगे वहाँ पर संस्कृत पालि/प्राकृत भाषा विषय का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा।
- प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की अवधि के दौरान छात्र केवल एक बार ही छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करें।

- विज्ञापन से पूर्व, ऑफ लाईन, अपूर्ण, पुराने फॉरमेट और अलग से मुद्रित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- इस संबंध में आवश्यकतानुसार नियम एवं शर्तों में किसी प्रकार का बदलाव करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा। किसी आवेदन को निरस्त करने का अधिकार भी विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
- ऑनलाईन आवेदन पत्र में दर्शाये गये राज्य के कॉलम में राज्य शब्द का अर्थ जहाँ पर आवेदक अध्ययनरत है उस राज्य का उल्लेख करना होगा।

**औ) पीएच.डी./विद्यावारिधि के छात्रों/शोधकर्ता के लिए सामान्य दिशानिर्देश-**

यदि कोई छात्र बी.एड/एम.एड/एम.फिल पूर्ण करने के बाद पी.एच.डी/विद्यावारिधि में प्रवेश लेता है तो छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु उसके एम.ए. में प्राप्तांक आधार होंगे। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि :-

- “छात्रों को केवल नियमित मोड में और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल/पीएच.डी डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम 2009/2016 और इस संबंध में समय-समय पर अन्य दिशानिर्देशों के अनुसार विद्यावारिधि/पीएच.डी में प्रवेश लेना चाहिए।
- योजना की अवधि 02 वर्ष की अवधि के लिए होगी और छात्रवृत्ति के लिए उम्मीदवारी पर विद्यावारिधि/पीएच.डी में शामिल होने की तिथि से शोध अवधि के दौरान प्रवेश की तिथि से लेकर 05 वर्ष पूर्ण होने की तिथि तक किसी भी 02 वर्षों में विचार किया जायेगा। शोधकर्ता छात्रवृत्ति के लिए अपने कार्यकाल के दौरान अनुसंधान के लिए पूरा समय समर्पित करेगा और किसी भी अंशकालिक/पूर्णकालिक असाइनमेंट को लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि किसी अन्य स्रोत के माध्यम से छात्रवृत्ति की अवधि के दौरान पेशकश की जाती है तो वह कोई अन्य वेतन या शोध छात्रवृत्ति या फेलोशिप स्वीकार नहीं करेगा। उन छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें विद्यावारिधि/पीएच.डी शोध के दौरान किसी भी स्रोत से कोई छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है।
- आचार्य/एम.ए. या समकक्ष डिग्री के आधार पर विद्यावारिधि/पीएच.डी के लिए छात्रवृत्ति के लिए मेधावी सूची तैयार की जायेगी।
- स्नातकोत्तर और विद्यावारिधि/पीएच.डी. के बीच शिक्षा में उपयुक्त अन्तराल पर विचार किया जायेगा।
- यदि पर्यवेक्षक/विभाग के प्रमुख/शोध संस्थान के अध्यक्ष/प्रमुख द्वारा प्रतिवेदन के अनुसार उम्मीदवार की प्रगति विवरण संतोषजनक नहीं है तो उम्मीदवार की छात्रवृत्ति तत्काल बिना किसी प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी। इसे किसी भी स्थिति में वापिस नहीं किया जायेगा।
- इसके अलावा, द्वितीय पीएच.डी. के लिए कोई छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जायेगी।

**कुलसचिव**